

# यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 10.6.25

रीडर/2025/5142  
प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण


1 नरेश 2 विनोद  
पिसरान मांगीलाल 3  
परमेश्वरी देवी पत्नि  
मांगीलाल जातियान सोनी  
निवासीयान गोरधनपुरा,  
पटवार हल्का मारुड़ी,  
तहसील व जिला  
बाड़मेर।

1 कांता पत्नि गणेश कुमार 2 जतना उर्फ शांति पत्नि  
तोगाराम 3 दुर्गा पुत्री गणेश कुमार 4 देवी पत्नि चुनाराम 5  
नवनिधि 6 परनिधि पिसरान गणेश कुमार 7 भोजा पुत्र  
राणाराम 8 राजेन्द्र पुत्र तोगाराम 9 शंकर पुत्र राणाराम 10  
हरीश पुत्र तोगाराम जातियान मेघवाल 11 हभसिंह 12 रहमत  
सिंह 13 गेन सिंह पिसरान प्रताप सिंह 14 तनसिंह 15  
भभूतसिंह पिसरान देवीसिंह 16 सरूप सिंह 17 अर्जुन सिंह  
पिसरान पुंजराज सिंह 18 अर्जुनसिंह 19 गुलाब सिंह  
पिसरान भंवरसिंह 20 मीटू कंवर पत्नि छुगसिंह 21 रूपसिंह  
पुत्र भंवर सिंह 22 सिरे कंवर पत्नि मंगल सिंह 23 जीवराज  
सिंह 24 मानसिंह पुत्र पिसरान मंगल सिंह 25 जीवराज सिंह  
पुत्र छुगसिंह जातियान राजपूत 26 कैलाश कुमार पुत्र  
रतनलाल 27 रमेश कुमार पुत्र शंकरलाल जातियान जैन  
निवासीयान गोरधनपुरा, पटवार हल्का मारुड़ी, तहसील व  
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 490/2024 दिनांक- 26/05/25

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा गोरधनपुरा पटवार क्षेत्र मारुड़ी तहसील व जिला बाड़मेर  
भूमि खसरा संख्या 750/225 रकबा 1.0522 हेक्टर व खसरा संख्या 224 रकबा 2.8571  
हेक्टर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार  
बाड़मेर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व  
अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी  
फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.  
08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क  
रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा  
मौके पर अदा किया जावेगा।

  
(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/5143-5146

दिनांक- 10.6.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मारुड़ी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी नरेश पुत्र मांगीलाल जाति जातियान सोनी निवासीयान गोरधनपुरा, पटवार हल्का मारुड़ी, तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण कांता पत्नि गणेश कुमार जातियान मेघवाल निवासी निवासीयान गोरधनपुरा, पटवार हल्का मारुड़ी, तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर